



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 08.07.2026

थाना बडौत पुलिस ने एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से कुल 21.562 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस ने एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से कुल 21.562 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ हो।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 468/2026 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शशी भूषण भास्कर पुत्र जीत नारायण निवासी श्रीराम इन्क्लेव थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- कुल 21.562 किलो ग्राम अवैध गांजा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री ओमपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-है०का० 425 वीरेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-है०का० 661 गंगाप्रसाद थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-का० 421 अंकुल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6-रि०का० 507 दीपक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 08.07.2026

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 398/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेण्डर नं0 UP-17Q-8968 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 08.06.2026 को थाना बड़ौत पर वादी श्री विशाल पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी पट्टी मेहर करबा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर के द्वारा उसकी मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेण्डर नं0 UP-17Q-8968 को चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 398/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 398/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी गई मो0सा0 सुपर स्प्लेण्डर UP-17Q-8968 बरामद हुई है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना बड़ौत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

मिन्टू पुत्र सुखवीर निवासी ग्राम बड़ावद थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की गयी मो०सा० नं० UP-17Q-8968

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ०नि० श्री सचिन कुमार थाना बड़ौत ।
- 2-है०का० 691 अमित नागर थाना बड़ौत ।
- 3-है०का० 754 मंजीत कुमार थाना बड़ौत ।
- 4-है०का० 769 सतेन्द्र कुमार थाना बड़ौत ।





प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक-08.07.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 223/2026 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी गए सामान में विभिन्न ब्रांड के खाद्य तेल, रिफाईंड, नमकीन, फ्रूटी, बिस्किट, बीड़ी, सिगरेट, साबुन, शैम्पू, तम्बाकू/गुटखा उत्पाद, माचिस, अन्य किराना सामग्री एवं नगद ₹380 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.07.2026 को थाना दोघट पर वादी श्री सागर पुत्र बिनेश निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.लाखन पुत्र राजकुमार, 2.आशीष



पुत्र सतपाल निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत के द्वारा रात्रि में उसकी दुकान की छत की चादर हटाकर (तोड़कर) दुकान के अन्दर घुस कर दुकान में रखे 400 रु0 नगद, लगभग 03 बोतल तेल व 02 बोतल रिफाईण्ड, नमकीन, बिस्कुट, बीड़ी का पैकिट, साबुन, तेल, सिगरेट, तम्बाकू, शैम्पू आदि सामान चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 223/2026 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरो/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने पर मु0अ0सं0 223/2026 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से चोरी गए सामान में विभिन्न ब्रांड के खाद्य तेल, रिफाइंड, नमकीन, फ्रूटी, बिस्किट, बीड़ी, सिगरेट, साबुन, शैम्पू, तम्बाकू/गुटखा उत्पाद, माचिस, अन्य किराना सामग्री एवं नगद ₹380 बरामद हुए हैं एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-लाखन पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2-आशीष पुत्र सतपाल निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी गए सामान में विभिन्न ब्रांड के खाद्य तेल, रिफाइंड, नमकीन, फ्रूटी, बिस्किट, बीड़ी, सिगरेट, साबुन, शैम्पू, तम्बाकू/गुटखा उत्पाद, माचिस, अन्य किराना सामग्री एवं नगद ₹380

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2-का0 455 विजय सैनी थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3-रि0का0 274 सचिन कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
- 4-रि0का0 516 अखलेश थाना दोघट जनपद बागपत।



**प्रेस नोट
थाना दोघट**

दिनांक-08.07.2026

थाना दोघट पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-पुष्पेन्द्र पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-अन्तरपाल पुत्र जयराज निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-भूषण पुत्र गोधू निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री ब्रजेश पौनिया थाना दोघट ।
- 2-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना दोघट ।
- 3-है0का0 464 सुधीर कुमार थाना दोघट ।
- 4-रि0का0 517 अभिषेक यादव थाना दोघट ।
- 5-रि0का0 274 सचिन कुमार थाना दोघट ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 08.07.2026

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 229/23 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गौरव पुत्र विनोद निवासी करुबा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना खेकडा ।
- 2-है0का0 86 अजय कुमार थाना खेकडा ।
- 3-का0 1058 शरद यादव थाना खेकडा ।



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 08.07.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 230/26 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फरमान पुत्र महबूब निवासी करबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री भूवनेश्वर कुमार थाना खेकड़ा ।
- 2-उ0नि0 श्री सुजीत कुमार थाना खेकड़ा ।
- 3-रि0का0 605 नारायण थाना खेकड़ा ।